

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा, अजमेर मण्डल, अजमेर

क्रमांक:- उनिशि/मा/अज/शैप्र/फा-61/1992


दिनांक:-09.05.2018

प्रधानाचार्य,  
राउमावि साखना टोंक।

विषय :- उच्च अध्ययन परीक्षा अनुमति जारी करने की अनुमति बाबत।  
प्रसंग :- पत्रांक 440/02.05.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषित श्री पप्पू लाल मीणा व.अ. के परीक्षा स्वीकृति प्रकरण के क्रम में लेख है कि :-

सार्वजनिक परीक्षा अनुज्ञा नियम 9.7.2 (क) के अनुसार "ऐसी सभी परीक्षाओं को छोड़कर, जहां प्रायोगिक कार्य के लिए नियमित कक्षाओं में उपस्थित होना आवश्यक हो, अन्य सभी सार्वजनिक परीक्षाओं में बैठने के लिए शिक्षकों को विभागीय अधिकारियों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।"

  
उप निदेशक (मा.)शिक्षा  
अजमेर मण्डल,अजमेर